भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1062

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून की प्रगति और रूपरेखा

1062. श्री गौरव गोगोईः

श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून के लिए प्रस्तावित रूपरेखा के प्रमुख तत्व क्या हैं जो विशेष रूप से बड़े डिजिटल प्लेटफार्मों के विनियमन और डिजिटल अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के बारे में हैं;

(ख) देश में कानून के विकास और कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और प्रगति क्या है और इसे लागू करने की संभावित समय-सीमा क्या है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि प्रस्तावित कानून बड़ी डिजिटल कंपनियों के प्रभुत्व को विनियमित करने के साथ-साथ नवाचार को बढ़ावा देने में प्रभावी रूप से संतुलन बनाए;

(ग) तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं, आंकड़ों की गोपनीयता और बाजार में एकाधिकार के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार की यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियामक निकायों के साथ सहयोग करने की योजना है कि यह कानून डिजिटल बाजार प्रतिस्पर्धा के लिए सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप हो और यदि हां, तो डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में सभी भागीदारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए प्रमुख प्रौद्योगिकी फर्मों की चिंताओं को दूर करने के लिए किन सुरक्षोपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) क्या सरकार ने प्रस्तावित पूर्वानुमानित रूपरेखा के स्टार्ट-अप सहित छोटे भागीदारों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का आकलन किया है और किन्हीं अनभिप्रेत परिणामों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): "बिग-टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार" विषय पर अपनी तिरपनवीं रिपोर्ट में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (सीडीसीएल) पर एक समिति का गठन किया था। सीडीसीएल ने फरवरी, 2024 में डिजिटल तिस्पर्धा विधेयक (डीसीबी) के मसौदे के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून के लिए प्रस्तावित ढांचे के मुख्य तत्वों में मात्रात्मक और गुणात्मक मानदंडों के आधार पर पहचान की गई कोर डिजिटल सेवाओं (सीडीएस) में पूर्व-प्रत्याशित ढांचा, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यमों (एसएसडीई) का

विनियमन शामिल है। डीसीबी के मसौदे पर हितधारक परामर्श मार्च-मई, 2024 तक आयोजित किया गया था, जिसमें ड्राफ्ट डीसीबी के साथ सीडीसीएल की रिपोर्ट को ई-परामर्श मोड के तहत एमसीए वेबसाइट पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 18.06.2024 से 20.06.2024 के बीच हितधारक चर्चाओं का आयोजन किया।

(ग): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बड़ी तकनीकी फर्मों द्वारा संलिप्त कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं का संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। जिन मामलों में सीसीआई द्वारा जांच पूरी कर ली गई है, उन मामलों में सीज एवं डेसिस्ट आदेश और उपाय जारी करने के अलावा मौद्रिक शास्तियां लगाने के अंतिम आदेश जारी किए गए हैं।

(घ) और (ङ): सीडीसीएल ने प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श किया और डिजिटल सेवाओं के विनियमन के लिए घरेलू कानूनी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय नियामक प्रथाओं दोनों की जांच की। डीसीबी के मसौदे को तैयार के दौरान, मार्च, 2023 में परामर्श आयोजित किया गया था, जहां छोटे व्यवसायों, थिंक टैंक और बड़े डिजिटल समूहों के व्यापार और उद्योग संघों के कई प्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। सभी स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सुझावों/इनपुटों/टिप्पणियों की जांच की जा रही है।

*****